

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 477 / 2025

दिनांक : 13 .02.2025


श्रीमती मर्यादा शर्मा (RJ01269), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली, उदयपुर को दिनांक 27.02.2025 से 25.08.2025 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम) दिनांक 26.02.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती मर्यादा शर्मा (RJ01269), के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान उनके न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारी को निम्नानुसार पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

क. स.	अधिकारी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-	न्यायालय, जिसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया :-
01	श्री जतिन परमार (RJ01410), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), मावली, उदयपुर।	श्रीमती मर्यादा शर्मा (RJ01269), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली, उदयपुर।

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री जतिन परमार (RJ01410), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/21/2020/1246

दिनांक. 13 .02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 949 दिनांक 05.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मर्यादा शर्मा (RJ01269), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली, उदयपुर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मावली, उदयपुर।
5. श्री जतिन परमार (RJ01410), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), मावली, उदयपुर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), मावली, उदयपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार